संख्याः2634 / 12–4–2007–1719 / 2006

प्रेषक,

हरमिन्दर राज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन ।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उ0प्र0,लखनऊ ।

कृषि अनुभाग–4 लखनऊ, दिनांक 25 अक्टूबर, 2007

विषयः– कृषि विभाग के ढॉचे का पुनर्गठन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–कैम्प–3602 / कृषि विभाग / 05–06, दिनांक 14.11.2005 तथा पत्र संख्या–कार्मिक–780 / पुनर्गठन / 06–07 लखनऊ, दिनांक10.11.2006 के सन्दर्भ में एवं कृषि अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–1735 / 12–1–2006–2178 / 92, दिनांक 19.06.06 तथा शासनादेश संख्या–2319 / 12–1–2006–2178 / 92, दिनांक 30.06.06 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग को क्रियाशील, जवाबदेह और सीधे कृषकों से जोड़ने, उसे उनके प्रति और अधिक उत्तरदायी बनाने, उपलब्ध जनशक्ति और सीमित संसाधनों का पूर्णतया उपयोग किये जाने, कृषि विभाग के किया–कलापों को ग्रामीण स्तर पर प्रचार–प्रसार के माध्यम से सुचारू रूप से चलाये जाने तथा वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करके कृषकों को अधिकाधिक लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से श्री राज्यपाल कृषि विभाग के अराजपत्रित पदों का निम्नांकित व्यवस्थानुसार पुनर्गठन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

5/10/07

.....2

(1) कृषि विभाग में संचालित की गयी "प्रशिक्षण एवं सम्पर्क योजना" स्वीकृत किये गये पदों की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए अब तक शासन स्तर से प्रत्येक वर्ष निरन्तरता जारी की जाती रही है। अब पंचायत विभाग से अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–3 के किसान सहायकों के पुनः विभाग में वापस आ जाने के बाद प्रशिक्षण एवं सम्पर्क योजना के भृतप्राय घोषित किये गये पदों की अपरिहार्यता को देखते हुए उन्हें यथावत् बनाये रखा जायेगा ।

(2) विकासखण्ड स्तर पर पूर्ववर्ती व्यवस्था बनाये रखते हुए राजकीय कृषि बीज भण्डार को एक कृषि तकनीकी परामर्श एवं निवेश केन्द्र के रूप में सुदृढ़ किया जायेगा।

(3) भूमि संरक्षण कार्यो की तकनीकी विशेषताओं को देखते हुए सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक/भूमि संरक्षण निरीक्षक चयनित जलागम क्षेत्रों में यथावत् कार्य करते रहेंगें।

(4) नव सृजित 22 जनपदों में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु आवश्यक विभिन्न संवर्ग के कार्मिकों की व्यवस्था वर्तमान में उपलब्ध पदों से ही की जायेगी । कोई नया पद सृजित नहीं किया जायेगा ।

(5) जनपद, मण्डल एवं राज्य स्तर पर कम्प्यूटर के सुदृढ़ीकरण हेतु अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2 के 205 पदों को कम्प्यूटर आपरेटर के रूप में परिवर्तित किया जायेगा ।

(6) न्याय पंचायत स्तर पर समन्वित रूप में कृषि विभाग की योजनाओं के क्रिया वयन, नवीनतम तकनीकी जानकारी एवं कृषकों की कृषि संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु कृषि सहायकों/प्राविधिक सहायकों की अवस्थापना की जायेगी एवं इन्हें विभाग के सभी कार्यो का दायित्व न्याय पंचायत स्तर पर सौंपा जायेगा ।

10/07

...3

(7) विभाग के कतिपय पद, जो सम्प्रति उपयोगी सिद्ध नहीं हो पा रहें हैं, की कार्य–प्रकृति को विभाग की आवश्यकतानुसार इस रूप में परिवर्तित किया जायेगा, जिससे प्रदेश की जनता को कृषि उत्पादन का अधिकाधिक लाभ तो हो किन्तु पुनर्गठन से प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त बोझ न पड़े ।

2– उपर्युक्त रूप में कृषि विभाग के ढांचे के पुनर्गठन के फलस्वरूप कृषि विभाग के कतिपय अराजपत्रित कर्मचारियों के वर्तमान पदनाम एवं उनकी संख्या परिवर्तित रूप में निम्नवत् होगी:–

(1) अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1 (वेतनमान रू0 6500–10500)

पूर्व में प्रचलित पदनाम	पूर्व में स्वीकृत पदों की संख्या	परिवर्तित पदनाम	परिवर्तित / स्वीकृत पदों की संख्या
1	2	3	4
अपर जिला कृषि अधिकारी, विशेष बीज उत्पादन अधिकारी, प्राविधिक सहायक, विषय वस्तु विशेषज्ञ (फसलउत्पादनआदि) कुल पद नाम–42	कुलपद 1103	1–वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप–ए (कृषि निवेश / कार्यक्रम)	303
		2–वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप–ए(कृषि रक्षा)	373
		3–वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप–ए (कृषि)	70
		4–वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप–ए (भूमि संरक्षण)	84
		5–वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप–ए (शोध)	240
		6–वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप–ए (प्रक्षेत्र)	15
		7–वरिष्ठ प्रादिधिक सहायक ग्रुप–ए (मुख्यालय / प्रशिक्षण संस्थान)	15
	कुल योग–1103		कुल योग–1100

10107

2– अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2(वेतनमान रू0 4500–7000)

पूर्व में प्रचलित पदनाम	पूर्व में स्वीकृत पदों की संख्या	परिवर्तित पदनाम	परिवर्तित/स्वीकृत पदों की संख्या
1	2	3	4
सहायक विकास अधिकारी(कृषि), भूमि संरक्षण निरीक्षक, कृषि निरीक्षक, फार्म अधीक्षक (अनुसंधान), पटसन विकास निरीक्षक, अनुगामी सहायक आदि कुल 24 पदनाम	कुल पद 3616	1–वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप–बी(कृषि)	869
		2–वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप–बी (कृषि रक्षा)	813
		3–वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप–बी (प्रशिक्षण एवं समन्वय)	373
		4–वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप–बी(प्रक्षेत्र)	142
		5–वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप–बी(भूमि संरक्षण)	336
		6–वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप–बी(आपूर्ति/प्रभारी बफर गोदाम)	70
		7–वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप–बी(सहायक प्रवक्ता)	13
		8–वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप–बी(शोध/प्रयोगशाला)	325
		9–कम्प्यूटर आपरेटर	205
	कुल योग–3616		कुल योग–3146

107

उपर्युक्त प्रस्तर–(2) के स्तम्भ–(1)में उल्लिखित पदों एवं उनकी संख्या में सम्मिलित निम्नांकित पदों को मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनानुसार यथा पूर्व/पूर्व पदनाम से ही बनाये रखा जायेगा:–

क0सं0	पदनाम	पूर्व में स्वीकृत पदों की संख्या	स्वीकृत किये जा रहे पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	अवर अभियंता (वेतनमान रू5000–8000)	382	328
2.	मानचित्रक (वेतनमान रू4000–6000)	133	134
	कुल योग–	515	462

उ0प्र0 अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2 के स्वीकृत किये जा रहे उपर्युक्त 3146 पदों में उपर्युक्त 462 पदों को सम्मिलित करते हुए कुल 3608 पदों की स्वीकृति पूर्व में स्वीकृत वर्ग–2 के कुल 3616 पदों के सापेक्ष दी जा रही है।

(3) अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–3(वेतनमान रू0 3200–4900)

पूर्व में प्रचलित पदनाम	पूर्व में स्वीकृत पदों की संख्या	परिवर्तित पदनाम	परिवर्तित/स्वीकृत पदों की संख्या
1	2	3	4
सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक, सहायक कृषि निरीक्षक,	10762	1–प्राविधिक सहायक, ग्रुप–सी (न्याय पंचायत स्तर)	8135
		2–प्राविधिक सहायक, ग्रुप–सी (सिंचाई व्यवस्था)	17
		3–प्राविधिक सहायक, ग्रुप–सी (एकीकृत नाशी जीव ~~बीज~~ प्रबन्धन)	~~217~~ 17

5/10/07 25/10/07

किसान सहायक, मृदापरीक्षण सहायक, कृषिरक्षा पर्यवेक्षक आदि । कुल पदनाम–12	4–प्राविधिक सहायक, ग्रुप–सी (कृषि निवेश/पौध रक्षा)	813
	5–प्राविधिक सहायक, ग्रुप–सी (मृदा परीक्षण)	96
	6–प्राविधिक सहायक, ग्रुप–सी (शोध)	52
	7–प्राविधिक सहायक ग्रुप–सी(मृदा सर्वेक्षण)	40
	8–प्राविधिक सहायक ग्रुप–सी (प्रक्षेत्र)	17
	9–प्राविधिक सहायक, ग्रुप–सी (भूमि संरक्षण)	1344
कुल–10762		कुल–10531

3–कृषि विभाग के कार्यालय सहायक/अन्य कार्मिकों के पदों की स्थिति निम्नवत् होगी:–

क्रमांक	पदनाम	पूर्व स्वीकृत पदों की संख्या	पुनर्गठन के पश्चात पदों की स्वीकृत संख्या
1	2	3	4
1.	लेखाकार	601	601
2.	सहायक लेखाकार	373	373
3.	लिपिक संवर्ग मुख्यालय	401	401
4.	आशुलिपिक	169	169
5.	वरिष्ठ लिपिक जनपदीय	845	845
6.	कनिष्ठ लिपिक जनपदीय	2043	2043
7.	अनुरेखक	141	141
8.	वाहन चालक	886	886
9.	चतुर्थ श्रेणी(मुख्यालय)	265	265
10.	चतुर्थ श्रेणी/कामदार(जनपदीय)	5524	5280
	कुल योग	11,248	11,004

07

4– उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप भी पदों की वास्तविक संख्या वही होगी, जो पद–सृजन सम्बन्धी शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये सुसंगत शासनादेशों में स्वीकृत हों। तदनुसार कृषि विभाग के ढॉचे का पुनर्गठन एवं पदों का समायोजन कृषि विभाग द्वारा स्वीकृत वास्तविक संख्या के आधार पर ही किया जायेगा। उपर्युक्त आदेश पदों की स्वीकृति के आदेश नहीं माने जायेंगें ।

5– कृषि विभाग के पुनर्गठित ढॉचे में सम्बन्धित कर्मचारियों के कार्य–दायित्वों एवं विभिन्न स्तर पर पदों के विभाजन के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार कार्यवाही कृषि निदेशक,उ0प्र0 द्वारा की जायेगी ।

6– उपर्युक्त आदेशों के परिप्रेक्ष्य में सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही बाद में करायी जायेगी ।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या.–ई–1–611/दस–07 दिनांक 23.10.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(हरमिन्दर राज सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या–2634(1)/12–4–2007–1719/2006, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन ।
4. प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन ।
5. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन ।
6. कृषि विभाग के समस्त अनुभाग ।

10/07

.....8

7. अपर कृषि निदेशक(प्रशासन), कृषि भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
8. गार्ड फाईल, कृषि अनुभाग—4
9. वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—1
10. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—1/2

आज्ञा से,

25/10/07

(एन0के0द्विवेदी)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन,
कृषि अनुभाग–4,
संख्या–753 / 12–4–09–1719 / 2006,
लखनऊ : दिनॉक : 25 मार्च, 2009

शुद्धि–पत्र

'कृषि विभाग के ढॉचे का पुनर्गठन' विषयक कृषि अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–2634 / 12–4–2007–1719 / 2006, दिनॉक–25–10–2007 के पृष्ठ–5 पर अंकित शीर्षक–''अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–3 (वेतनमान रू0–3200–4900)'' के स्तम्भ–3 के क्रमांक–3 में उल्लिखित पदनाम–''प्राविधिक सहायक, ग्रुप–''सी'' (एकीकृत नाशी जीव प्रबन्धन)'' के सम्मुख कालम–4 में निदर्शित परिवर्तित / स्वीकृत पदों की संख्या–''217'' के स्थान पर 17 (सत्रह) पढा जाय और उक्त शासनादेश दिनॉक–25–10–2007 को मात्र इस सीमा तक, आंशिक रूप से, संशोधित समझा जाय।

वी0 वी0 सिंह विश्वेन
प्रमुख सचिव।

संख्या–753(1) / 12–4–09, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र सं0–कार्मिक–802 / पुनर्गठन / 54–अ–टी0सी0 / 2007–08, दिनॉक–04–11–2007 के संदर्भ में।
(6) विशेष सचिव, गोपन अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) अपर कृषि निदेशक (प्रशा0) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनु0–1 / 2, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) वित्त (वेतन–आयोग) अनुभाग–1 / 2, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) कृषि विभाग के समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(11) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
24/3/09
(अमरनाथ उपाध्याय)
अनु सचिव।